कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 903 /FP/UK/ROAD/9015/2014 :देहरादून:दिनांक: 28 सितम्बर, 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गौचर से डमडमा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.97 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन फाईल संख्या– FP/UK/ROAD/9015/2014)

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या– 8बी/यूसीपी/06/80/2015/एफसी/2394 दिनांक 03–02–2016

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जो निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है:–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 9.996 हे0 ग्राम–डमडमा (0.507 हे0), सिन्द्रवाणी (4.463 हे0), कौली (0.258 हे0) एवं भटोली (4.768 हे0) सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 22,89,202.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित 9.94 हे0 ग्राम–डमडमा (0.507 हे0), सिन्द्रवाणी (4.463 हे0), कौली (0.258 हे0) एवं भटोली (4.768 हे0) सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन किया जा चुका है, जिसके अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है। **(संलग्नक–1)**
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–2)**
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 41,99,650.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–3)**
5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रकरण पर जमा कुल धनराशि रू0 64,88,582.00 के रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–4)**
6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–5)**
7. शर्त संख्या–7 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित मानचित्रों की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–6)**
8. शर्त संख्या–8 के अनुपालन में वांछित प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–7)**
9. शर्त संख्या–9 का अनुपालन कर दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

संख्या 903 / FP/UK/ROAD/9015/2014 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग, गोपेश्वर।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग।
3. मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, सहत्रधारा रोड़, देहरादून।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक